



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1943 (श0)

(सं0 पटना 838) पटना, शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2021

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

1 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना सं0-बी1-3-36/2021-45 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 150 के अन्तर्गत बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2021 के अवसर पर 164-तारापुर एवं 78-कुशेश्वर स्थान (अ०जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु०-1/बिहार-वि.स./1/2021 दिनांक 01.10.2021 (164-तारापुर) एवं अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु०-1/बिहार-वि.स./2/2021 दिनांक 01.10.2021 [78-कुशेश्वर स्थान (अ०जा०)] को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मिथिलेश कुमार साहु,

संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक: 1 अक्टूबर, 2021, 9 अश्विन, 1943 (शक)

100/पूर्व अनु-1/बिहार-वि.स./1/2021 ।-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 164-तारापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मेवालाल चौधरी की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप दिनांक 19 अप्रैल, 2021 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 164-तारापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 5 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	8 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	:	11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	16 अक्टूबर, 2021 (शनिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	:	5 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार)

करा लिया जाएगा नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
सुजित कुमार मिश्र ,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग ।

Election Commission of India

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated: 1st October, 2021
9 Asvina, 1943 (Saka)

No.100/ES-1/BR-LA/1/2021:- WHEREAS, the seat of Sh. Mewa Lal Choudhary, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 164-Tarapur Assembly Constituency in the State, has become vacant on 19th April, 2021 by reason of his death; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **Calls upon** the said 164-Tarapur Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 5th November, 2021 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;
- (B) **Appoints**, with respect to the said election:-
- (a) the 8th October, 2021 : as the last date for making nominations ;
 - (b) the 11th October, 2021 : as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 16th October, 2021 : as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) **the 30th October, 2021 : as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and**
 - (e) the 5th November, 2021 : as the date before which the election shall be completed; **and**
- (C) **Fixes the hours** from 7.00 A.M to 4.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक: 1 अक्टूबर, 2021, 9 अश्विन, 1943 (शक)

100/पूर्व अनु-1/बिहार-वि.स./2/2021:- यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 78-कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री शशिभूषण हजारी की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप दिनांक 1 जुलाई, 2021 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (2) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 78-कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 5 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार) से पूर्व राज्य की किसी भी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले एक व्यक्ति को, राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	8 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	:	11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	16 अक्टूबर, 2021 (शनिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार)
(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	:	5 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार)

करा लिया जाएगा नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
सुजित कुमार मिश्र,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग।

Election Commission of India

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated: 1st October, 2021
9 Asvina, 1943 (Saka)

No.100/ES-1/BR-LA/2/2021- WHEREAS, the seat of Sh. Shashi Bhushan Hazari, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 78-Kusheshwar Asthan (SC) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 1st July, 2021 by reason of his death; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (2) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said 78-Kusheshwar Asthan (SC) Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 5th November, 2021 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the schedule castes of the state, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) **Appoints**, with respect to the said election:-

- (a) the 8th October, 2021 : as the last date for making nominations ;
- (b) the 11th October, 2021 : as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 16th October, 2021 : as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) **the 30th October, 2021 : as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and**
- (e) the 5th November, 2021 : as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) **Fixes the hours** from 7.00 A.M to 4.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 838-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>